02.12.25	पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई उत.- पत.- उप.। प्रा०पत्र प्रार्थी श्रीमान डिकन पवार हेतु विस्तृत रिपोर्ट अलग से शामिल- डिजिटल जमाबंदी खातेदारी नंबर के पेश हो। रिपोर्ट उपरान्त मानव उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ (राज.)	GCMS 2025/1478

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 198/2025 GCMS:-2025/478 दायर दिनांक : 16.07.2025

कमल सैनी पुत्र अमृतलाल पौत्र स्व. जयलाल जाति सैनी (माली) निवासी वार्ड नं. 29 नया, सैनी मौहल्ला, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. जयलाल पुत्र स्व. दानाराम जाति सैनी (माली) निवासी वार्ड नं. 29 नया, सैनी मौहल्ला, सूरतगढ़ (फौत)
   - 1/1. अमृतलाल पुत्र स्व. जयलाल जाति सैनी (माली) निवासी वार्ड नं. 29 नया, सैनी मौहल्ला, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/2. सीमा देवी पुत्री स्व. जयलाल पत्नी श्यामसुंदर जाति सैनी (माली) निवासी खुडखुड़ा खुर्द झुझण्डा तहसील मुंडवा जिला नागौर, राजस्थान।
   - 1/3. गुड्डी देवी पुत्री स्व. जयलाल पत्नी बाबूलाल जाति सैनी (माली) निवासी सोहनगढ़, रतेवाला तहसील व जिला मुक्तसर, पंजाब।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री प्रदीप कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अमरजीत सन्धु व सुप्रिया चितलांगिया, अभिभाषकगण अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वाद के साथ यह स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1/1 अमृतलाल का पुत्र है एवं अप्रार्थीगण सं. 1/2 व 1/3, अप्रार्थी सं. 1/1 की सगी बहिनें हैं। अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 जयलाल पुत्र दानाराम की पुत्र/पुत्रीयान हैं। इस प्रकार जयलाल पुत्र दानाराम प्रार्थी के दादा व दानाराम प्रार्थी के पड़दादा हैं। रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 की संयुक्त खाता सं. 126/205 के खसरा सं. 721/126 की 0.987 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जरिये इन्तकाल सं. 1341 दिनांक 19.07.2023 जयलाल (फौत) विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 के नाम 1/3 हिस्सा बराबर भूमि और इसी रोही कस्बा सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 68/.. के खसरा सं. 145 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 0.067 ... भूमि जरिये इन्तकाल सं. 1339 दिनांक 19.07.2023 जयलाल (फौत) विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1/1 से1/3 के नाम बहिस्सा बराबर एवं इसी रोही कस्बा सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 98/25 के खसरा सं. 497/145 की कुल 2.631 है0 बारानी खातेदारी कृषि

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि में शुद्धिपत्र सं. 5 दिनांक 10.10.2012 दुरूस्ती द्वारा अप्रार्थी सं. 1/1 के दादा और प्रार्थी के पड़दादा दानाराम पुत्र गंगाराम के नाम से 0.526 है0 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड है। दानाराम के स्वर्गवास उपरान्त उनके 9 वारिस हैं, जिन्हें वाद–पत्र में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। स्वर्गीय जयलाल के वारिस अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/3 और अप्रार्थी सं. 1/1 के परिवार के सदस्य स्वयं अप्रार्थी सं. 1/1 व प्रार्थी पुत्र और गुलाब देवी पत्नी ही है। उक्त रोही कस्बा सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 126/205 व 68/195 में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1/1 के नाम अंकित भूमि विरासतन प्राप्तशुदा है, जो कि सहदायी हिन्दू संयुक्त अविभाजित परिवार की सम्पति है, जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है, जिसकी घोषणा करवाने का प्रार्थी कानूनन हकदार है एवं संयुक्त खाता सं. 98/25 में प्रार्थी के पड़दादा दानाराम पुत्र गंगाराम के नाम अंकित 0.526 है0 भूमि में, उनके व प्रार्थी के दादा जयलाल के स्वर्गवास हो जाने के कारण, प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1/1 के 1/9 हिस्सा के माध्यम से इस 1/9 हिस्सा में प्रार्थी 1/81 हिस्सा का सहदायी सदस्य होने के नाते बतौर खातेदार की घोषणा करवाने का कानूनन हक रखता है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1/1 ने प्रार्थी के हितों की अनदेखी करते हुए अपने नाम अंकित उक्त विरासतन प्राप्तशुदा भूमि का हकत्याग दिनांक 26.06.2025 को दस्तबरदारी के द्वारा अपनी बहिन अप्रार्थी सं. 1/2 सीमा देवी के पक्ष में कर दिया है जो कि प्रार्थी के अधिकारों पर विधिक रूप से निष्प्रभावी है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी सं. 1/1 के हिस्सा की भूमि पर स्वयं और अपनी माता गुलाब देवी के साथ मौका पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपने पड़दादा के नाम से अंकित भूमि को अप्रार्थी सं. 1/1 से विरासतन प्रार्थी के नाम से अंकित करवाये जाने और उनके द्वारा दिनांक 26.06.2025 को करवाई गई दस्तावेज दस्तबरदारी को निरस्त करवाकर, प्रार्थी के अधिकार प्रार्थी को देते हुए, राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिये निवेदन किया तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये और कहा कि मैं तुम्हारे नाम से भूमि अंकित नहीं करवाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई हक व हिस्सा दूंगा और अपनी बहनों के साथ मिलकर भूमि का आगे हस्तान्तरण करूंगा और दिनांक 02.07.2025 को ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थी और उसकी माता जमीन का कब्जा छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन अपने आदमियों के सहयोग से मौका से बेदखल कर दूंगा, इसलिए प्रार्थी ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिये वाद प्रस्तुत किया है। वाद निर्णय से पूर्व यदि प्रार्थी को उसके पिता द्वारा जबरन संयुक्त खाता की भूमि से बेदखल कर दिया गया या इस भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा एवं प्रार्थी का वाद–पत्र बेसुध हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का बनता है और सुविधा व सन्तुलन का पक्ष प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 की (1) संयुक्त खाता सं. 126/205 के खसरा सं. 721/126 की कुल 0.987 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में इन्तकाल सं. [illegible] दिनांक 19.07.2023 जयलाल फौत विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 के नाम से अंकित 1/9 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी व (2) संयुक्त खाता सं. 68/195 के खसरा सं. 145 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में इन्तकाल सं. 1339 दिनांक 19.07.2023 जयलाल फौत विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 के

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नाम से बहिस्सा बराबर 0.067 है0 बारानी खातेदारी एवं (3) संयुक्त खाता सं. 98/25 के खसरा सं. 497/145 की 2.631 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि शुद्धिपत्र सं. 5 दिनांक 10.10.2012 दुरूस्ती द्वारा प्रार्थी के पड़दादा दानाराम पुत्र गंगाराम के नाम से अंकित 0.526 है0 हिस्सा में प्रार्थी के स्व. दादा जयलाल के माध्यम से हिन्दू विधि अनुसार 1/9 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त भूमि को अप्रार्थीगण के द्वारा ताफैसला वाद–पत्र किसी भी अजनबी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन, बैय इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित ना किये जाने और प्रार्थी को जबरन मौका पर से बेदखल ना किये जाने एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद–पत्र तक बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 16.07.2025 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2025 तय की गई। अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 की ओर से अभिभाषकगण उपस्थित आये और प्रार्थना–पत्र मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली करने का निवेदन किया। पत्रावली दिनांक 19.08.2025 को पेशी में ली गई व जवाब अप्रार्थीगण संलग्न कर दिनांक 08.09.2025 को पत्रावली में बहस सुनी गई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र से अप्रार्थी सं. 1/1 को प्रश्नगत कृषि भूमि पिता से बतौर वारिस प्राप्त होना सिद्ध है। यह भूमि स्वयं पैदाकर्दा न होने से विरासतन प्राप्ति के आधार पर हिन्दू सहदायी सम्पत्ति की तारीफ में आती है, जिसमें प्रार्थी जन्म से हक व हिस्सा मय माता रखता है। अप्रार्थी सं. 1/1 का अकेले नाम होने से वह उसकी सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती। द्वितीय, हकत्याग (Release deed) के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं हैं। यह सभी भाई–बहिनों को समान रूप से हकत्याग हो सकता है, किसी एक को नहीं। हकत्याग बिना अधिकारिता के प्रार्थी के हकों पर बेअसर है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। शेष सभी तथ्य वाद के पूर्ण निर्णय में होने हैं। इस स्तर पर यदि भूमि की स्थिति में परिवर्तन बजरिये रहन–बैय या जबरन कब्जा छुड़वाने के माध्यम से होगा तो वाद में पारित आदेश व डिक्री की पालना में व्यवधान पैदा होगा और पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा एवं वाद बाहुल्यता होगी, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2025 को वाद निर्णय तक बढ़ाने की प्रार्थना की गई। अपनी बहस के समर्थन में न्याय उद्धरण राजस्व मण्डल प्रकाशित आर.बी.जे. 2005 पेज सं. 405, आर.बी.जे. 2005 पेंज सं. 512, आर.बी.जे. 2010 पेज सं. 178, आर.बी.जे. 2002 पेज सं. 105, आर.बी.जे. 2016 पेज सं. 468, आर.बी.जे. 2000 पेज सं. 483, डी.[illegible] 2023 (1) पेज सं. 88, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज सं. 850, आर.बी.जे. 2022 पेज सं. 76, आर.बी.जे. 2019 पेज सं. 129 व आर.आर.टी. 2012 (1) पेज सं. 95 प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद [illegible] नहीं है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 1/1 के नाम से अंकित है जिसका वह पूर्ण मालिक है। हस्तान्तरण का उसे

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पूरा अधिकार है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता और सुविधा व सन्तुलन उसके पक्ष में नहीं है। शपथ–पत्र निराधार दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय उद्धरण प्रकाशित डी.एन.जे. 2021 (राज.) पेज सं. 174 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हकत्याग को निरस्त करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, इसलिए राजस्व न्यायालय को वाद सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. इसी आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पठन व मनन किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त इस मामले में यह पाया गया कि प्रश्नगत कृषि सम्पत्ति स्पष्ट रूप से अप्रार्थी सं. 1/1 की स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ति नहीं है। यह कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1/1 को बतौर वारिस जयलाल व जयलाल के बतौर वारिस दानाराम प्राप्त हुई पैतृक सम्पत्ति है। इस प्रकार की सम्पत्ति पर हिन्दू मिताक्षरा विधि के सहदायी परिवार के सिद्धान्त प्रभावशील है अथवा नहीं, यह वाद की पूर्ण सुनवाई पर निर्णय होने योग्य है। मेरी सुविचारित राय में प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला विचारण हेतु बनना प्रतीत होता है। सम्बन्धित प्रस्तुत दस्तावेजों से भूमि पैतृक प्राप्त होना प्रकट है। इस सम्पत्ति पर पुत्रों का जन्म से हक बनता है या नहीं, यह वाद के विचारण में निर्णय होने योग्य है। जहां तक योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण के इस तर्क का सम्बन्ध है कि हकत्याग दस्तावेज निरस्ती का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, यह सही है, किन्तु अनाधिकृत हस्तान्तरण को अमान्य कर अधिकारों की घोषणा करने में राजस्व न्यायालय सक्षम है, क्योंकि ऐसे हस्तान्तरण, हस्तान्तरण ग्रहिता को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। प्रार्थी ने हकत्याग के निरस्ती की प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने अधिकारों पर अमान्य बताकर अनुतोष मांगा है, इसलिए योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस बिन्दु पर प्रभावी नहीं है। द्वितीय, सभी बिन्दुओं का निर्णय पूर्ण वाद सुनवाई से होगा, तब तक विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी कानूनसम्मत प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2005 पेज सं. 405 के अनुसार "In this case, present applicant who is a father of non-applicant is transferring the disputed land during the pendency of suit. The son has a right by birth in ancestral land during the life time of father. Therefore, temporary injunction granted against the father that he should not transfer the disputed land during the pendency of suit." इसी प्रकार न्याय निर्णय आर.बी.जे. 2016 पेज सं. 468 के अनुसार "It is the established basic principle that the property in dispute to be preserved till final decision of the case." आर.बी.जे. 2002 पेज सं. 105 के अनुसार "When there is dispute among family members – Temporary injunction can be granted to avoid un-necessary litigation." आर.बी.जे. 2000 पेज सं. 483 के [illegible] can be granted to safe guard that during the pendency of suit the disputed land i[illegible] or otherwise transferred by the opposite party." डी.[illegible] 88 के अनुसार वाद के निस्तारण तक अचल [illegible] जाना आवश्यक है, अन्यथा वादों की बाहुल्यता बढ़ेगी [illegible] सं. 762 के अनुसार "न्यायिक बाहुल्यता का सामना नहीं करना पड़े इस[illegible] यह आदेशित किया गया कि

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि प्रकरण के लम्बित रहते हुए न तो बेचान करेंगे, न ही हस्तान्तरण करेंगे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।'' आर.बी.जे. 2019 पेज सं. 129 के अनुसार विधि निर्माताओं की मंशा है कि वाद के तथ्य यदि बहस लायक हैं तो वाद की यथांस्थिति बनाये रखनी चाहिये अन्यथा वाद की किस्म बदल जायेगी व इससे कई प्रकार की कार्यवाही व कानूनी पेचिदगियां बढ़ जायेंगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य न्याय उद्धरण अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, का अध्ययन करने के उपरान्त इस मामले में उन्हें प्रभावशील मानता हूं। वादचलन के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति की स्थिति कायम रखे जाने योग्य बनती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तमाम न्यायिक दृष्टान्त इस मामले में प्रभावी प्रतीत होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त प्रकाशित आर.आर.टी. 2008 (2) पेज सं. 850 में हकत्याग किसी एक व्यक्ति के पक्ष में मान्य नहीं किया जा सकता, का सिद्धान्त राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन सभी न्याय उद्धरणों के पठन से यह अदालत प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना मानती है। बतौर सहदायी प्राथमिक रूप से प्रार्थी के कब्जा में होने की अवधारणा विधिक रूप से की जा सकती है। अप्रार्थीगण को स्थगन से किस प्रकार की हानि होगी, यह कतई प्रकट नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं, जबकि स्थगन ना होने से वाद बाहुल्यता व सम्भावित आदेश की पालना ना होना स्पष्ट प्रकट होता है। यदि प्रार्थी के अधिकारों का संरक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होने और उसके द्वारा अपने विधिक अधिकारों से वंचित होने की पूर्ण सम्भावना है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला बनने और सुविधा व सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने के तथ्य पूर्णतया मौजूद होने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकृति योग्य बनता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 2071 की (1) संयुक्त खाता सं. 126 / 205 के खसरा सं. 721 / 126 की कुल 0.987 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में इन्तकाल सं. 1341 दिनांक 19.07.2023 जयलाल फौत विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 / 1 से 1 / 3 के नाम से अंकित 1 / 9 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी व (2) संयुक्त खाता सं. 68 / 195 के खसरा सं. 145 की 2.024 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में इन्तकाल सं. 1339 दिनांक 19.07.2023 जयलाल फौत विरासतन द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 / 1 से 1 / 3 के नाम से बहिस्सा बराबर 0.067 है0 बारानी खातेदारी एवं (3) संयुक्त खाता सं. 98 / 25 के खसरा सं. 497 / 145 की 2.631 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि शुद्धिपत्र सं. 5 दिनांक 10.10.2012 दुरूस्ती द्वारा प्रार्थी के पड़दादा दानाराम पुत्र गंगाराम के नाम से अंकित 0.526 है0 हिस्सा में से 1 / 9 हिस्सा भूमि को ताफैसला वाद रहन, बैय इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें और [illegible] जबरन मौका पर से बेदखल नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.[illegible].25 इसी अनुसार ताफैसला वाद तक पुष्ट Confirm किया जाता है। [illegible] बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 02.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)